न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. गणेश दास सिंह पुत्र गायडसिंह जाति राजपूत निवासी मायापुर फौत के कायम मुकाम –
   1/1 प्रवीणकुमार पुत्र गणेशदास सिंह
   1/2 पंकज कंवर पुत्री गणेशदास सिंह
   1/3 सन्तोष कंवर पुत्री गणेशदास सिंह
   1/4 प्रेमकंवर पत्नि गणेशदास सिंह सभी जाति राजपूत निवासी मायापुर हाल निवासी रातानाड़ा जोधपुर

   बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार परबतसर
2. पटवारी हल्का बंवाल
3. आनन्दसिंह पुत्र मगनसिंह
4. दुर्गासिंह पुत्र मगनसिंह सभी जाति राजपूत निवासी मायापुर तहसील परबतसर
5. भंवरलाल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी मायापुर तहसील परबतसर

दावा बाबत् :– घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती
उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी व
श्री शैतानसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 4 से 6
मुकदमा नम्बर :– 2021/138

निर्णय दिनांक :– 22.04.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम मायापुर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 81 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नमबर 84 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.8200, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.2700 हैक्टर जमीन स्थित है। उक्त खसरान में वादी का खातेदारी में नाम गणेश सिंह पुत्र चन्दरसिंह लिखा हुआ है जबकि वादी का नाम गणेश दास सिंह है तथा पिता का नाम गायडसिंह है। वादी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान कार्ड, राशन कार्ड, भूतपूर्व सैनिक परिचय पत्र वगेरह में वादी का नाम गणेश दास सिंह पुत्र गायडसिंह है। गांव मायापुर में गणेशसिंह पुत्र चन्दरसिंह नाम का तथा गणेश दास सिंह पुत्र गायडसिंह नाम का अन्य व्यक्ति नहीं है। दोनो नामो के एक ही व्यक्ति है जो दोनो नामो से जाना पहचाना जाता है। वादी का उक्त खसरान की जमीन में राजस्व कर्मचारियों की गलती से गणेशसिंह पुत्र चन्दरसिंह अंकित हुआ है। इसलिए वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण उक्त खसरा में गणेशसिंह पुत्र चन्दरसिंह के स्थान पर गणेश दास सिंह पुत्र गायडसिंह की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का की इस्तदुआ चाही है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान सिंह ने वकालतनामा व ईकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण 4 से 6 को कोई आपत्ति नहीं है । दिनांक 13.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हटाये जाने का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर नाम हफज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकार व प्रतिवादी संख्या 2 पटवारी का जवाब के अनुसार गणेशदाससिंह पुत्र चन्दरसिंह राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। परन्तु प्रार्थी का राशनकार्ड व पहचान पत्र में गणेशदास सिंह पुत्र गायड़सिंह है जो सही है। गणेशदाससिंह पुत्र चन्दरसिंह के बजाय गणेशदास सिंह पुत्र गायड़सिंह किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब प्राप्त होने व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की और से वादी का वाद स्वीकार करते हुए इकबालिया जवाब पेश होने से जवाब बन्द कर पत्रावली साक्ष्य वादी में तलब की गई जिसमें वादी स्वयं गणेश दास सिंह का शपथ-पत्र पेश किया और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस उभय पक्षकारों की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद का समर्थन करते हुए मुताबिक दस्तावेजात एवं इकबालिया जवाब अनुसार दावा स्वीकार किया जाना जाहिर किया।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का प्रेक्षण किया गया तो दावा वादी मुताबिक दस्तावेज एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबानुसार स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं होने से दावा स्वीकार किया जाना उचित समझते है। वकील वादी ने दावे के साथ आधार कार्ड, परिवार कार्ड, पहचान-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों का पहचान-पत्र आदी पेश किए जिसमें वादी का नाम गणेश दास सिंह पुत्र गायड़ सिंह दर्ज है। साथ वकील वादी ने सरंपच ग्राम पंचायत मायापुर की रिपोर्ट पेश की है जिसमें गणेशदास सिंह गलती से चनणसिंह के पुत्र के रूप में चढा दिया गया जबकी उन्हें गणेशदास सिंह पुत्र गायड़सिंह के नाम से चढाया जाना था। ऐसी स्थिति में दावे को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मायापुर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 81 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नमबर 84 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.8200, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.2700 हैक्टर में गणेशसिंह पुत्र चन्दरसिंह के स्थान पर गणेश दास सिंह पुत्र गायडसिंह का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार परबतसर को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमां इत्ताहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला (डीडवाना–कुचामन), राज.**

अज अदालत :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. गणेश दास सिंह पुत्र गायडसिंह जाति राजपूत निवासी मायापुर फौत के कायम मुकाम –

1/1 प्रवीणकुमार पुत्र गणेशदास सिंह

1/2 पंकज कंवर पुत्री गणेशदास सिंह

1/3 सन्तोष कंवर पुत्री गणेशदास सिंह

1/4 प्रेमकंवर पत्नि गणेशदास सिंह सभी जाति राजपूत निवासी मायापुर हाल निवासी रातानाड़ा जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1 तहसीलदार परबतसर

2. पटवारी हल्का बंवाल

3. आनन्दसिंह पुत्र मगनसिंह

4. दुर्गासिंह पुत्र मगनसिंह सभी जाति राजपूत निवासी मायापुर तहसील परबतसर

5. भंवरलाल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी मायापुर तहसील परबतसर

दावा बाबत् :– घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी व

श्री शैतानसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 4 से 6

निर्णय दिनांक :– 22.04.2025

मुकदमा नम्बर :– 2021/138

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू....... बहाजरी श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी श्री शैतान सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 4 से 5 मिनजानिब मुदई रूबरू............ मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मायापुर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 81 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नमबर 84 रकबा 0.7000 हैक्टर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.8200, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.2700 हैक्टर में गणेशसिंह पुत्र चन्दरसिंह के स्थान पर गणेश दास सिंह पुत्र गायडसिंह का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार डिक्री जारी की जाती है।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.04.2025 को जारी की गई।

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी परबतसर

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक			मीजान		
मीलान					

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना - कुचामन)